



# कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन कमिश्नरेट वाराणसी

## प्रेस नोट

दिनांक-19.01.2025

विषय:- “आपरेशन कन्विकशन” के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना मण्डुवाडीह में एन0डी0पी0एस0 एक्ट के मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त को 10 माह 06 दिवस के साधारण कारावास व 2,000/- रु0 अर्थदण्ड ।

थाना मण्डुवाडीह, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0-0183/2006 धारा 21/22 एन0डी0पी0एस0 एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त दशमी सोनकर पुत्र नन्हकू सोनकर निवासी 14/158 सोनिया थाना सिगरा जनपद वाराणसी को प्रभारी निरीक्षक मण्डुवाडीह व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक-18.01.2025 को माननीय न्यायालय ACJM-II द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त दशमी सोनकर उपरोक्त को अंतर्गत धारा 21/22 एन0डी0पी0एस0 एक्ट में 10 माह 06 दिवस के साधारण कारावास से व 2000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

सोशल मीडिया सेल  
पुलिस उपायुक्त  
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।